संख्या–1534 VI/2005–5(पर्य0)97

प्रेषक,

सन्तोष बड़ोनी,
अनुसचिव
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

निदेशक पर्यटन,
उत्तरांचल, देहरादून ।

पर्यटन अनुभागः

देहरादून दिनांक 30 दिसम्बर, 2005

विषयः– केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश की स्वीकृति के सम्बन्ध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् के पत्रांक–486/2–7–364/05 दिनांक 17 दिसम्बर 2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2005–06 में संलग्न विवरणानुसार केन्द्रांश रू0 598.56 तथा राज्यांश रू0 67.20 लाख अर्थात कुल रू0 665.76 (रू0 छः करोड़ पैसठ लाख छिहत्तर हजार मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु इस शर्त के साथ आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है कि इस धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिये। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई है की स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी से स्वीकृत करालें ।

4– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय ।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

6– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

7– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एंव लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

8– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एंव भुगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें । निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें ।

9– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जए ।

10–निर्माण सामग्री का उपयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए ।

11–स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–03–2006 तक पूर्ण उपयोग कर वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को भी यथासमय प्रेषित कर दिया जायेगा। अधूरी योजनाओं पर पूर्व स्वीकृत धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त उक्त विवरण उपलब्ध कराये जाने के बाद अवमुक्त की जायेगी।

12– कार्य प्रारम्भ करते समय सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी कार्यस्थल पर इस आशय का साइनेज स्थापित करेगा कि उक्त कार्य पर्यटन विभाग के सौजन्य से किया जा रहा है। साईन बोर्ड पर कार्य का विवरण भी अंकित किया जायेगा। सम्बन्धित जिला पर्यटन विकास अधिकारी निर्माण कार्य का भौतिक निरीक्षण कर प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह तक प्रगति आख्या शासन को उपलब्ध करायेगें।

13–कार्य की गुणवत्ता एवं समयवद्धता हेतु सम्बंधित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।
14–सम्बन्धित निर्माण इकाई कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्य को समयबद्व रूप से पूर्ण किये जाने हेतु एक पट चार्ट तैयार कर पर्यटन निदेशालय/शासन को उपलब्ध करायेगा एवं कार्य को निर्धारित समयावधि के भीतर पूर्ण करने हेतु वचनबद्वता भी इंगित करेगा।
15– उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–06 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–सम्बर्द्धन तथा प्रचार–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–02–पर्वतीय क्षेत्र में यात्रा व्यवस्था हेतु आधारभूत सुविधाओं का निर्माण–42–अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।
16– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–270/XXVII(2)/2005, दिनांक 27 दिसम्बर, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति के अधार पर जारी किये जा रहे हैं।
संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(सन्तोष बड़ोनी)
अनुसचिव।

संख्या– VI /2005–5(पर्य0)97 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
4– समस्त जिलाधिकारी।
5– वित्त अनुभाग–2,
6– बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
7– अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
8– निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।
9– निजी सचिव मा0 पर्यटन मंत्री जी, उत्तरांचल।
10–एन0आई0सी0, उत्तरांचल सचिवालय परिसर।
11–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बड़ोनी)
अनुसचिव।

शासनादेश संख्या-1534/VI/2005–5(पर्य0)97, दिनांक 30 दिसम्बर, 2005 का संलग्नक

(धनराशि लाख रूपये में)

क0 सं0	योजना का नाम	अवमुक्त केन्द्रांश	केन्द्रांश के सापेक्ष अवमुक्त राज्यांश	योग	निर्माण इकाई
1	2	3	4	5	6
1	केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत पर्यटन ग्राम कोटी, इन्द्रौली एवं पत्यूड़ (जौनसार भावर क्षेत्र) का पर्यटन विकास	37.68	—	37.68	प्रमुख वन संरक्षक,उत्तरांचल, देहरादून।
2	नैनीताल–अल्मोड़ा–रानीखेत पर्यटक सर्किट का विकास	558.00	67.20	625.20	प्रबन्ध निदेशक कुमाऊँ मण्डल विकास निगम/छावनी परिषद रानीखेत/वन विभाग।
3	मार्गीय सुविधा कर्णप्रयाग(जोशीमठ)का निर्माण	2.88	—	2.88	गढ़वाल मण्डल विकास निगम,देहरादून।
	योग	598.56	67.20	665.76	

(सन्तोष बड़ोनी)
अनुसचिव।